संख्या- 22 / 2026/871/ सत्रह-म-2026-17-1099/1/2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ:दिनांक 21 मई, 2026

विषयः उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना योजना को संचालित/ क्रियान्वयन हेतु दिशा- निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 295/निo शा0/ दिशा- निर्देश/ 2026-27 दिनांक 07.05.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना योजना को सम्यक विचारोपरान्त क्रियान्वयन/संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना योजना के क्रियान्वयन से सम्बंधित विवरण/ दिशा- निर्देश निम्नवत हैं-

"उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना" योजना

1.योजना की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उद्देश्य/औचित्य-

उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन-स्थिति एवं क्षमता:-

मछली उत्पादन का मुख्य उद्देश्य तेजी से बढ़ती मछली की मांग को पूरा करना और किसानों की आय बढाना है। भारत में पंगेशियस तथा तिलेपिया मछली का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। अन्तराष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग होने के कारण विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा निर्यात को बढावा मिलता है, जिस कारण ये मछलियाँ अब भारतीय मत्स्य पालन (Aquaculture) का एक मुख्य हिस्सा बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में पंगेशियस मछली, जिसे स्थानीय भाषा में 'पंगास या 'प्यासी'भी कहा जाता है, की मांग और आपूर्ति का बाजार वर्तमान में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इन प्रजातियों का मत्स्य बीज अभी दूसरे प्रदेशों से आयात किया जाता है। उत्तर प्रदेश मछली उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक बन चुका हैं, जिसमें इन मछलियों का उत्पादन में विशिष्ट योगदान है। ये मछलियां बहुत कम समय में (6-8 महीने) 1 से 1.5 किलो वजन तक पहुँच जाती हैं, जिससे किसानें को जल्दी लाभ मिलता है। पंगेशियस/ तिलेपिया को कम जगह या छोटे तालाबों में अधिक संख्या में पाला जा सकता है, जिससे छोटे किसानों में इन प्रजातियों की लोकप्रियता बढ़ रही हैं। छोटे तालाबों, निजी भूमि के तालाबों, बायोफ्लाक, आर.ए.एस. और केज कल्चर अपनाने वाले किसानों के बीच इनकी मांग सबसे ज्यादा

है।

उत्तर प्रदेश में मछली उत्पादन 2018-19 में 6.62 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में 13.31 लाख मीट्रिक टन हो गया है। वर्तमान में मत्स्य पालन क्षेत्र राज्य की कुल GSDP में लगभग 0.644 प्रतिशत का योगदान दे रहा है और 2027-28 तक राज्य के GSVA में रू0 45000 करोड़ का योगदान देने का लक्ष्य हैं, जिसके साथ मत्स्य पालन विभाग राज्य की एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु प्रतिबद्ध है। गतवर्ष 2024-25 में पंगेशियस का उत्पादन 1.62 लाख टन प्राप्त किया गया जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.89 लाख टन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।

<u>प्रस्ताव का औचित्य</u>

उत्तर प्रदेश में उपरोक्तानुसार पंगेशियस/ तिलेपिया आदि विशिष्ट प्रजातियों की मछलियों का उत्पादन प्राप्त करने हेतु हर साल लगभग 50-60 करोड़ पंगेशियस मत्स्य अंगुलिकाऐं की आवश्यकता होती हैं जिसका मूल्य लगभग 100 करोड़ होता है जो प्रदेश से बाहर चला जाता है। पहले भारत पूर्ण रूप से इन प्रजातियों की अंगुलिकाओं के लिए बांग्लादेश पर निर्भर था, किन्तु अब स्थिति बदल रही हैं। उत्तर प्रदेश अभी भी पूरी तरह से पश्चिम बंगाल और आंधप्रदेश पर निर्भर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों जैसे कौशाम्बी, प्रतापगढ़, महाराजगंज, वाराणसी तथा हरदोई में स्थानीय बीज उत्पादकों ने पंगेशियस का मत्स्य अंगुलिकाएं प्रायोगिक तौर पर उत्पादित करने का नवाचार किया है जिसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। अतः अब पंगेशियस सहित अन्य विशिष्ट प्रजातियों की हैचरी की स्थापना कर प्रदेश में ही गुणवत्तायुक्त पंगेशियस अंगुलिका उत्पादन की आवश्यकता है।

योजना का उद्देश्य-

स्थानीय तौर पर इन मछलियों का उत्पादन बढ़ा है, फिर भी राज्य की कुल मांग का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 95 प्रतिशत) से अधिक आज भी अन्य प्रदेशों से मंगवाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पंगेशियस तथा तिलेपिया आदि मछलियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, राज्य के भीतर ही उन्नत किस्म के 'फिंगरलिंग्स' तैयार करना आवश्यक है। वर्तमान में अधिकांश मत्स्य अंगुलिकाएं अन्य राज्यों (पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि) से मंगवाए जाते हैं, जिससे परिवहन लागत बढ़ती है और अंगुलिकाओं की उत्तरजीविता कम हो जाती है तथा अंगुलिका की गुणवत्ता भी संदेह में रहती है। इसके अतिरिक्त लगभग 100 करोड़ रूपए अन्य प्रदेशों में चला जाता है। स्थानीय स्तर पर इन मछलियों की हैचरी स्थापित करने से गुणवत्तायुक्त अंगुलिकाऐं मत्स्य पालकों को स्थानीय स्तर पर कम दरों पर सुनिश्चित किए जा सकेंगे।

पंगेशियस आदि विशिष्ट प्रजातियों की अंगुलिकाओं की सबसे ज्यादा मांग मार्च से जुलाई के बीच रहती है। सर्दियों में यह मछली चारा कम खाती है और इसकी मृत्यु दर बढ़ जाती है, इसलिए सर्दियों में अंगुलिकाओं का स्टॉक कम किया जाता है। पंगेशियस मत्स्य अंगुलिकाओं का रेट उसके साइज (लाइन) पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर यह रू0 0.80 से रू0 9.00 प्रति अंगुलिका तक मिलता है। कई बार बाहर से आने वाली अंगुलिकाओं में मृत्यु दर अधिक होती है, इसलिए स्थानीय विश्वसनीय हैचरी से अंगुलिकाऐं लेना श्रेयस्कर होता है।

- **<u>पंगेशियस/ तिलेपिया</u>** की उत्पादकता अन्य मछलियों की तुलना में बहुत अधिक है। एक

औसत किसान प्रति एकड़ 30 से 40 मी0 टन तक उत्पादन ले रहा है, जबकि उन्नत तकनीक (जैसे बायोफ्लाक या इन्टेन्सिव फार्मिंग) से इसे 40 से 60 टन प्रति हेक्टेयर तक भी उत्पादन लिया जा रहा है।

- भारत दुनिया के शीर्ष पंगेशियस उत्पादन देशों (वियतनाम और चीन के बाद) में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। घरेलू बाजार में इसकी खपत लगातार बढ़ रही है क्योंकि यह 'सस्ती और बिना कांटे वाली मछली के रूप में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार तिलेपिया मछली की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। गतवर्ष 2024-25 में पंगेशियस का उत्पादन 1.62 लाख टन प्राप्त किया गया जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.89 लाख टन प्राप्त किया जाना सम्भावित है जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
- पंगेशीयस के अतिरिक्त तिलापिया, आज दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली मछली है जो 5-6 महीने में लगभग 600-800 ग्राम तक वृद्धि कर लेती है । यह मछली मीठे पानी और हल्के खारे दोनों जगहों पर इसका अच्छे से पालन हो सकता है और पानी की अलग-अलग क्वालिटी के लिए इसकी नैचुरल टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसमें बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इसलिए छोटे किसान आसानी से इसका पालन कर अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं, परन्तु इसके बीज की उपलब्धता बहुत कम है जिस कारण इसका उत्पादन अभी उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक दृष्टि से नही हो पा रहा है जिस कारण इसके बीज उत्पादन हेतु हैचरी की आवश्यकता है ।

योजना का कार्यक्षेत्र-

- उत्तर प्रदेश में पंगेशियस एवं तिलेपिया की बढ़ती डिमाण्ड को देखते हुए योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण विशिष्ट प्रजातियों का मत्स्य अंगुलिकाऐं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रस्तावित की जा रही है।
- वैज्ञानिक पद्धति से हैचरी प्रबन्धन द्वारा मत्स्य अंगुलिकाऐं की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।
- मत्स्य पालकों को स्वस्थ और तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति की अंगुलिकाओं को समय पर उपलब्ध कराना।

हैचरी में आवश्यक संरचनाएँ/सुविधायें:-

क्रम संख्या	हैचरी हेतु आवश्यक संरचनाएँ/सुविधायें	संख्या
1	ब्रूडस्टाक पान्ड्स	04
2	नर्सरी पान्ड्स	06
3	हैचरी यूनिट (टैंक + इंक्यूबेशन)	01
4	नार्वा रियरिंग टैंक्स	01
5	पम्प हाउस + फिल्टरेशन	01
6	आफिस	01
7	लैब	01
8	स्टोर	01

तिलापिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ:-

उत्तर प्रदेश में तिलापिया पालन के लिए अत्यंत अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं:

- पर्याप्त जल संसाधन (तालाब, झीलें, नहरें आदि)
- उपयुक्त तापमान (25–32°C)
- लंबा उत्पादन काल
- कम लागत में अधिक उत्पादन
- उच्च लाभ प्राप्ति
- निवेश पर शीघ्र वापसी (2–2.5 वर्ष

ये सभी कारक इस परियोजना को सफल बनाने में सहायक हैं।

तिलापिया के GIFT स्ट्रेन का महत्व:-

- छोटा फसल चक्र
- भोजन के हिसाब से अनुकूलन की क्षमता
- ज़्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी कल्चर की सम्भावना
- अधिक प्रोटीन युक्त
- जलवायु के अनुरूप/अनुकूलन की क्षमता
- तेज़ी से बढ़ना
- अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में अच्छी मांग

हैचरी कॉम्पोनेन्ट: ब्रूडर तालाब, ब्रीडिंग तालाब (हापा लगाने के लिए), नर्सरी तालाब, ब्रीडिंग पक्के टैंक, इन्क्यूबेशन चैम्बर, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीड पैकेजिंग सिस्टम, ऑफिस ।

ब्रूडर: एक वर्ष पुराने RGCA (राजीव गांधी जल कृषि केन्द्र)से प्राप्त किये जायेंगे ।

हैचरी की यूनिट लागत: 50 लाख

उत्पादन: इस परियोजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लगभग 80-100 लाख फ्राई फिंगरलिंग का उत्पादन किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

गिफ्ट तिलेपिया का प्रजनन

यह मछली गर्मियों में अप्रैल-मई से प्रजनन की शुरुआत करती है और वर्ष भर ब्रीड करती है आम तौर पर, तिलापिया की ब्रीडिंग के लिए तीन तकनीकी इस्तेमाल की जाती हैं:

1. **तालाब-बेस्ड ब्रीडिंग:** इस तकनीकी में, मछलियों को लाइन वाले या मिट्टी के तालाबों में प्रजनन किया जाता है।
2. **कंक्रीट या सीमेंट के टैंक में ब्रीडिंग** - तालाबों से प्रजनक को संकलित करते हुए प्रजनन किया जाता है। टैंक सिस्टम शुरुआती लार्वा पालन एवं रियरिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
3. **हापा का इस्तेमाल करके ब्रीडिंग:** हापा को मिट्टी के तालाबों में फिक्स किया जाता है यह तरीका तिलापिया ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ब्रूडर, अंडे और फ्राई को को रियरिंग करना अपेक्षाकृत आसान होता है।

<u>पंगेशियस हैचरी स्थापना हेतु मुख्य बिन्दु</u>

पंगेशियस पालन एक उच्च तकनीक, उच्च उत्पादन एवं निर्यात आधारित प्रणाली है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी पंगेशियस पालन एक लाभदायक व्यवसाय बन रहा है। यदि सही तकनीक, फीड और जल प्रबन्धन अपनाया जाये तो किसान कम लागत में अच्छा उत्पादन और मुनाफा

कमा सकते हैं। साथ ही प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लोंगो को रोजगार के वर्यास अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं।

तकनीकी विवरण

- परिपक्व, स्वस्थ प्रजनक (1-3 वर्ष की आयु के ब्रूडर)का चयन किया जाता है और हार्मोनल इंजेक्शन का उपयोग करके उन्हें प्रजनन के लिए प्रेरित किया जाता है ।
- निषेचित अण्डों को वायु संचार के लिए ऊपर की ओर पानी के प्रवाह वाले ऊर्ध्वाधर जारों/टैकों में रखा जाता है।
- लगभग 24-30 घण्टों के अन्तराल में (तापमान 26-31 डिग्री सेल्सियस के बीच) अण्डे से लार्वा निकलते हैं।
- लार्वा को लार्वा पालन टैंकों में रखा जाएगा, जहां उन्हें उचित पोषण एवं देखभाल प्रदान की जाएगी। प्रारम्भ के तीन सप्ताह तक 17- alpha Testosterone Harmone मिलाकर भोजन दिया जाता है जिससे सभी लार्वा नर के रूप में विकसित होते हैं, तदुपरान्त

इन्हें नर्सरी तालाबों में संचय कर फ्राई एवं फिंगरलिंग में विकसित किया जाएगा।

<u>उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना के लिए एक हेक्टेयर हेतु इकाई लागत</u>

अनुमानित लागत विवरण (Estimated Costing)

- लागत को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है :पूंजीगत)Capital) और आवर्ती)Recurring)।

अ .पूंजीगत व्यय (Fixed/Capital Cost)

क्र.सं.	मद(Item)	विवरण	अनुमानित राशि (लाख में)
1	तालाब निर्माण	ब्रूडर और नर्सरी हेतु)Earth work)	7.00
2	हैचरी यूनिट	सर्कुलर हैचरी, जार, इंक्यूबेशन टैंक आदि	15.00
3	मशीनरी	जनरेटर, एयरेटर, वॉटर पंप, फिल्ट्रेशन ,ओवर हेड टंक ,स्टोर रूम, ट्यूब वेल आदि	8.00
4	भवन निर्माण	लैब, स्टोर रूम और गार्ड रूम आदि	5.00
योग			35.00लाख

ब .आवर्ती/परिचालन व्यय (Operational Cost - प्रति वर्ष):-

क्र.सं.	मद)Item)	विवरण	अनुमानित राशि (लाख में(
1	ब्रूडर आहार	उच्च प्रोटीन फ्लोटिंग फीड	6.00
2	ब्रूडर क्रय	ब्रूडर क्रय पर व्यय ट्रांसपोर्ट सहित	1.25

3	बिजली व ईंधन	पंप और जनरेटर संचालन	2.75
4	मानव संसाधन	तकनीकी विशेषज्ञ और श्रमिक	3.00
5	दवाएं व हार्मोन	प्रजनन हेतु Ovaprim/Ovatide आदि हार्मोन	2.00
कुल			15.00 लाख

कुल परियोजना लागत (A + B) = Rs 50.00 लाख

योजना हेतु प्रविधानित धनराशि-: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष2026-27 में प्रथम चरण हेतु कुल रु० 135.00 लाख की धनराशि का प्रविधान किया गया है जिसमे प्रदेश में कुल 05 हैचरी स्थापित की जाएंगी।

इकाई लागत व फण्डिंग पैटर्न

विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना शत-प्रतिशत राज्यपोषित परियोजना है। परियोजनान्तर्गत 2.0 हे0 भूमि पर नर्सरी एवं तालाब के निर्माण के साथ-साथ इस पर हैचरी, ओवरहेड टैंक, पैकिंग शेड, स्टोर आदि की निर्माण करने पर अनुदान होगा । एक लाभार्थी अधिकतम 01 यूनिट पर अनुदान प्राप्त कर सकता है। उक्त विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की प्रति इकाई लागत रू0 50.00 लाख होगी तथा परियोजना के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 40 प्रतिशत अर्थात 20.00 लाख एवं महिला लाभार्थी को 60 प्रतिशत अनुदान की धनराशि अर्थात रु0 30.00 लाख की अनुदान धनराशि प्रति इकाई देय होगी।

क्र0सं0	मद	लक्ष्य (सं0 में)		इकाई लागत	कुल परियोजना लागत (लाख में)	अनुदान प्रतिशत	अनुदान धनराशि (लाख में)
1	पंगेशियस एवं तिलापिया के मत्स्य हैचरी की स्थापना	सामान्य	2	50	100	40	40
		महिला	3	50	150	60	90
	कुल योग		5	100	250	-	130
2	प्रशासनिक व्यय (योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु) 02 प्रतिशत		-	-	5	100	5
	कुलयोग		-	-	255	-	135

हैचरी हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश

हितग्राही पूरी जानकारी और टेक्निकल-इकोनॉमिक डिटेल्स के साथ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिर्पोट (DFR) मत्स्य विभाग के कार्यालय में जमा करेंगे, जिसमें मत्स्य बीज उत्पादन किये जाने वाली प्रजाति पूजीगत व्यय और इसमें आने वाली रेगुलर व्यय आदि समस्त घटक के सापेक्ष व्यय शामिल होगी। प्रोजेक्ट रिर्पोट में स्थानीय लोंगो को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, मछली

उत्पादन में बढ़ोत्तरी, प्रोजेक्ट को लागू करने की समय सारिणी एवं बीज उत्पादन का समस्त विवरण विस्तार से होना अनिवार्य होगा।

- लाभार्थी को जरूरी जमीन (स्वयं की) उपलब्धता का साक्ष्य देना होगा, जो अतिक्रमण और रुकावटों से मुक्त हो, फाइनेंस के सोर्स जैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट के नॉन-सब्सिडी हिस्से के लिए लोन देने के लिए बैंक की मंजूरी या बेनिफिशरी द्वारा खुद इन्वेस्ट करने की घोषणा हो।
- मत्स्य हैचरी में ब्रीडिंग यूनिट/हैचरी, ब्रूडर तालाब, नर्सरी तालाब, पालन टैंक, छोटी लैब, पानी और बिजली की सप्लाई, जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं आदि शामिल होंगी।
- मत्स्य हैचरी को जरूरी प्रशिक्षित टेक्निकल स्टॉफ द्वारा प्रबन्धन किया जाना चाहिए।
- निर्माण के बाद हैचरी का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस लाभार्थी अपने खर्च पर अच्छे तरीके से करेंगे।

लाभार्थी चयन प्रक्रिया एवं मानदण्ड

उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर लाभार्थी चयन एवं अनुमोदन, योजना के पर्यवेक्षण व निगरानी हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत किया जायेगा-

1. मुख्य विकास अधिकारी - अध्यक्ष
2. मंडलीय उपनिदेशक मत्स्य - सदस्य
3. जिला अग्रणी बैंक ,प्रबंधक - सदस्य
4. प्रगतिशील मत्स्य पालक - सदस्य
(मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित)
5. सहायक निदेशक मत्स्य/जनपदीय प्रभारी अधिकारी - सदस्य सचिव

लाभार्थी का चयन (नियम एवं शर्तें)

1- उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रजाति (पंगेशियस एवं तिलापिया) की मत्स्य हैचरी की स्थापना योजना के आवेदन हेतु दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

2- इच्छुक लाभार्थियों के द्वारा अपना आवेदन विभागीय पोर्टल पर आनलाइन माध्यम से किया जायेगा।

3- मत्स्य हैचरी के लिए 2.00 हेक्टेयर की निजी जमीन के अभिलेख (खसरा, खतौनी तथा सहखातेदार होने की स्थिति में तहसील द्वारा निर्गत हिस्सा प्रमाण पत्र) एवं अन्य वांछित महत्वपूर्ण अभिलेख पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे।

4- लाभार्थी पूर्ण औचित्य विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डी0पी0आर0) प्रस्तुत करेंगे, जिसमें प्रजातियां, पूजीगत लागत और आवर्ती लागत भी शामिल हैं। परियोजना की रिर्पोट में स्थानीय आबादो के लिए प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन में वृद्धि, परियोजना आदि के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय-सीमा आदि का विवरण होना चाहिए।

5-लाभार्थी को अपेक्षित भूमि की मिट्टी एवं पानी की जॉच मत्स्य विभाग के केन्द्रीय प्रयोगशाला से कराना अनिवार्य होगा।

6- लाभार्थी अपेक्षित भूमि की उपलब्धता के अभिलेख प्रदान करेगा, जो कि अतिक्रमणों एवं बाधाओं से रहित रहेगा, जिसमें निजी निवेश करने हेतु लाभार्थी द्वारा परियोजना लागत या घोषणा के गैर -सब्सिडी वाले भाग के लिए ऋण प्रदान करने हेतु बैंक की सहमति जैसे वित्त स्रोत,

आवश्यक मंजूरी/अनुमति प्रदान की जायेगी।

7-विभागीय पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आवेदन को स्वीकृत और अस्वीकृत किया जायेगा।

8- लाभार्थियों का चयन उपर्युक्तानुसार तालिका में वर्णित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

9-स्वीकृत आवेदनों का रैण्डमाइजेशन जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता में किया जायेगा।

10-जनपद में उपलब्ध लक्ष्य के सापेक्ष रैण्डमाइजेशन सूची से जनपदीय मत्स्य अधिकारी के दिशा-निर्देश में लाभार्थी द्वारा कार्य कराया जायेगा।

11-रैण्डमाइजेशन सूची को मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 की विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा।

12- मत्स्य हैचरी में ब्रूडर तालाब, नर्सरी तालाब, रियरिंग टैंक, छोटी प्रयोगशाला, पानी और बिजली की आपूर्ति, आवश्यक बुनियादी सुविधाएं आदि शामिल होंगी।

13 मत्स्य हैचरी का प्रबन्धन आवश्यक योग्य तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

14- हैचरी के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

15- लाभार्थी उपयुक्त /उचित मूल्य पर किसानों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त हैचरी से उत्पादित बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

16-हैचरी का पोस्ट निर्माण, संचालन, प्रबन्धन और रखरखाव लाभार्थियों द्वारा अपनी लागत पर संतोषजनक तरीके से किया जायेगा।

17- लाभार्थी का चयन पूर्व में चयनित/निर्मित हैचरी पर नहीं किया जायेगा।

भौतिक कार्यपूर्ति की मापदण्ड

लाभार्थी द्वारा योजनान्तर्गत कराये गये कार्य से सम्बन्धित बिल वाउचर्स व साक्ष्य स्वरूप जियोटैग फोटोग्राफ प्रस्तुत करने व जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त ही डीबीटी के माध्यम से 02 किस्त में यथा प्रथम किस्त 60 प्रतिशत कार्य के उपरान्त तथा द्वितीय किस्त शत-प्रतिशत कार्य के उपरान्त लाभार्थी के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

योजना के मूल्यांकन हेतु मुख्यालय एवं मण्डल स्तरीय मत्स्य अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जायेगा तथा योजना के क्रियान्वयन का जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण भी किया जायेगा।

3- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 19-05-2026 16:54:21
(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 22/2026/871(1)/ सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक / खाद्य एवं प्रसस्करण / राजस्व विभाग एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बड़ौदा उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
12. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
उप सचिव।